

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला-मुरैना

प्र० क्र० 40/अ-82/भू-अर्जन/उ०म०रे०/2018/7417 मुरैना, दिनांक : 12/6/2018

अधिसूचना

{ (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम- थरा प०ह०क०-०००४२ रा०नि० वृत्-०२ तहसील -जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 1.238 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- थरा प०ह०क०-०००४२ रा०नि० वृत्-०२ तहसील- जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवयष्कता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	जौरा
ग. ग्राम	थरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	1.238 हेक्टेयर

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल (हेक्ट.)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	301	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.430	0.058	रामचरन रामस्वरूप पुत्र हरलाल जाति रावत पता ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 37.55
2	313	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.510	0.023	कुंअरपाल सभाराम विजयसिंह सेवाराम पिता माखन सिंह मु० आनन्दी बेवा माखनसिंह जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.28
3	315	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.014	कुंअरपाल सभाराम विजयसिंह सेवाराम पिता माखन सिंह मु० आनन्दी बेवा माखनसिंह जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.69

